## कार्यालय– नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

**Email id: nodalofficerddn@gmail.com** **Phone/Fax: 0135 2767611**


पत्रांक– 1969 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 30 ~~जनवरी~~ अप्रैल, 2026

**सेवा में,**

**उप वन महानिदेशक (के0),**
**भारत सरकार,**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,**
**क्षेत्रीय कार्यालय,**
**25 सुभाष रोड़, देहरादून।**

**विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग के ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.36 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(Proposal No FP/UK/ROAD/155204/2022)

**संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी. /06/62/2022/एफ0सी0, दिनॉक 19–02–2025।**

**महोदय,**

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1436/12–1 दिनांक 23.12.2025 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 2. | **प्रतिपूरक वनीकरणः**<br>2.(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 0.72 है0 आरक्षित अवनत वन भूमि अमेली 8, कक्ष संख्या 13 I में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या–5 पर 720 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिरोपित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| | 2.(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य को प्रभाग द्वारा ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | **शुद्ध वर्तमान मूल्य**<br>3. (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.36 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।<br><br>3. (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/ 06/62/2022/ एफ0सी0 दिनांक 19.02.2025 के तहत दिये गये दिशानिर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कुल रू0 18,02,650.00 (अट्ठारह लाख दो हज़ार छह सौ पचास रूपये) मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है।<br>**(संलग्नक–1)**<br><br>शर्त सं0 3. (ख) के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयुक्ता अभिकरण वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु वचनबद्ध है।<br>**(संलग्नक–2)** |
| 4. | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 30 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधकारी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 होगी। ऐसे पेड़ राज्य वन विभाग की संख्या प्रवेक्षण में काटे जायेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमाकी जाएगी। |
| 5. | प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass/overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। | प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगी। |
| 6. | वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा। **(संलग्नक–3)** |
| 7. | गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार को उचित माध्यम से प्रेषित की जाएगी। |
| 8. | राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त हेतु सहमत है। |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 2006 की पूर्ण शर्तों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा।<br>**(संलग्नक–4)** |
| 10. | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांनतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा सभी निधियों (CA coat NPV) ई–पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा ऑनलाइन कर बैंक में एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (Campa Kosh) के तदर्थ निकाय खाता सं0 में कुल रू0 1802650.00 लाख मात्र की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम् से जमा कर दी गई है। |
| 11. | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जायेगी। |
| (ख) | **राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।** | |
| 1. | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने के लिए वचनबद्ध है। |
| 2. | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि सौंपे जाने की शर्त मान्य है। |
| 3. | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भ की लागत पर परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करने के लिए सहमत है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाने के लिए सहमत हैं। |
| 4. | राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु सहमत है। |
| 5. | मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहाँ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त के पालन किये जाने हेतु वचनबद्ध है। |
| 6. | नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पाँचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा उक्त शर्त का पालन किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। | |
| 7. | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग द्वारा उक्त शर्त का पालन किया जायेगा। |
| 8. | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सहमत है। |
| 9. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदलने के लिये वचनबद्ध है। |
| 10. | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने के लिये वचनबद्ध है। |
| 11. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिये जाने पर वचनबद्ध है। |
| 12. | संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित किया जायेगा। **(संलग्नक–5)** |
| 13. | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग की देख रेख पर strip plantation किया जायेगा। इस हेतु प्रस्तावक विभाग वचनबद्ध है। |
| 14. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाने के लिये वचनबद्ध है। |
| 15. | प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण जहां आवश्यक हो अंडर/ओवर पास प्रदान करने हेतु सहमत है। |
| 16. | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने के लिये वचनबद्ध है। |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने के लिए वचनबद्ध है। |
| 18. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किये जाने के लिये वचनबद्ध है |
| 19. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू किये जाने के लिए वचनबद्ध है। |
| 20. | The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost. | शर्त सं0 20 के अनुपालन में रू0 8,39,886.00 का Wildlife Mitigation/Management Plan (WLMP) or रू0 2,09,901.00 का Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) प्लान अनुमोदन उपरान्त यथोचित कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा राह है। **(संलग्नक–6)** |
| 21. | The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण उक्त शर्त हेतु सहमत है। |
| 22. | The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार उक्त शर्त हेतु सहमत है। |
| 23. | The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area,if applicable. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण मार्ग निर्माण के समय वन्यजीवों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचायेगी, इसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 24. | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर मलवा निस्तारण करेगा। सम्बन्धित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 26. | प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों/ निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी, इसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 27. | उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण किसी भी शर्त का कोई भी उल्लंघन नहीं करेगी, इसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथांसशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

**संलग्न– यथोपरि।**

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

**संख्या–1969 / 12-1 दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी।

(मीनाक्षी जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- ccpwdcdpauri@gmail.com, ccpwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)


पत्रांक 2263 /2 ए०अ०                                                                 दिनांक 10 / 11 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत रीठाखाल—दुधारखाल मोटर मार्ग के ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.36 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/155204/2022).**

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय देहरादून के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/ 06/62/2022/एफ0सी0 दिनांक 19.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रश्न/उत्तर में तैयार कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | This in-principle approval is subject to the final outcome w.r.t. Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 03.02.2025 | शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 2. | प्रतिपूरक वनीकरणः<br>2.(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 0.72 है0 आरक्षित अवनत वन भूमि अमेली 8, कक्ष संख्या 13। में क्षेत्रस्वामी कक्ष संख्या—5 पर 720 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से वचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। | शर्त सं0 2.(क) प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य एवं 720 पौधों का रोपण का कार्य प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा किया जाना है। |
| | 2.(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। | शर्त सं0 2.(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा दिया जाना है। |

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

| | | |
|---|---|---|
| 3. | शुद्ध वर्तमान मूल्य<br>3. (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18. 09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.36 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।<br><br>3. (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य अतिरिकत राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | शुद्ध वर्तमान मूल्य<br>शर्त सं0 3. (क) के अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/ 06/62/2022/एफ0सी0 दिनांक 19.02. 2025 के तहत दिये गये दिशानिर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कुल रू0 1802650.00 (अट्ठारह लाख दो हज़ार छह सौ पचास रूपये) मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है।<br>चालान की प्रति संलग्न है।<br><br>शर्त सं0 3. (ख) के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयुक्ता अभिकरण वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु वचनबद्ध है।<br>प्रमाण–पत्र संलग्न है। |
| 4. | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 30 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 होगी। ऐसे पेड़ राज्य वन विभाग की संख्या प्रवेक्षण में काटे जायेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा करने के लिए वचनबद्ध है। |
| 5. | प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass/overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। | शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड,मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 6. | वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी। | शर्त सं0 6 के अनुपालन में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।<br>प्रमाण–पत्र संलग्न है। |
| 7. | गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी। | शर्त सं0 7 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं आदेशों की प्रति आपके कार्यालय को भी प्रेषित किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 8. | राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा। | शर्त सं0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 9. | एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | शर्त सं0 9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित किया गया है।<br>प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है। |
| 0. | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | शर्त सं0 10 के अनुपालन में सभी निधियों (CA coat NPV) ई–पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा ऑनलाइन कर वैंक में एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (Campa Kosh) के तदर्थ निकाय खाता सं0 में कुल रू0 1802650.00 लाख मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा किया गया है। एवं वैव पोर्टल पर भी भुगतान प्राप्त प्रदर्शित है। |

महाप्रबं अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

| | | |
|---|---|---|
| 11. | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी। | शर्त सं0 11 के अनुपालन में रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड किये जाने के लिए सहमत है। |
| (ख) | राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। | शर्त सं0 (ख) के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है। |
| 1. | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने के लिए वचनबद्ध है। |
| 2. | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि सौंपे जाने की शर्त मान्य है। |
| 3. | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते हैं। | शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भ की लागत पर परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करने के लिए सहमत है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाने के लिए सहमत हैं। |
| 4. | राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो। | शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 5. | मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहाँ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। | शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 6. | नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पाँचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। | शर्त सं0 6 के अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा किया जाना है। |
| 7. | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | शर्त सं0 7 के अनुपालन में प्रतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा किया जाना है। |
| 8. | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | शर्त सं0 8 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सहमत है। |
| 9. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | शर्त सं0 9 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदलने के लिये वचनबद्ध है। |
| 10. | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | शर्त सं0 10 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने के लिये वचनबद्ध है। |
| 11. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | शर्त सं0 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिये जाने पर वचनबद्ध है। |
| 12. | संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों। | शर्त सं0 12 के अनुपालन में संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। |

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

| | | |
|---|---|---|
| 13. | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी। | शर्त सं0 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग की देख रेख पर strip plantation किया जायेगा। इस आश्य की वचनबद्धता प्रेषित की जा रही है। |
| 14. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा। | शर्त सं0 14 के अपुनालन में प्रयोक्ता अभिकरण सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाने के लिये वचनबद्ध है। |
| 15. | प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी। | शर्त सं0 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 16. | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने के लिये वचनबद्ध है। |
| 17. | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। | शर्त सं0 17 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने के लिए वचनबद्ध है। |
| 18. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। | शर्त सं0 18 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किये जाने के लिये वचनबद्ध है |
| 19. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | शर्त सं0 19 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू किये जाने के लिए वचनबद्ध है। |
| 20. | The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost. | शर्त सं0 20 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं0 846/2भू0आ0 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा Wildlife Mitigation/Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रेषित कर दिया गया है। |
| 21. | The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable. | शर्त सं0 21 के अनुपालन में यदि लागू हो तो इसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 22. | The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable. | शर्त सं0 22 के अनुपालन के लिये प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वचनबद्ध है। |
| 23. | The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area,if applicable. | शर्त सं0 23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण मार्ग निर्माण के समय वन्यजीवों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचायेगी, इसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

| | | |
|---|---|---|
| 24. | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | शर्त सं0 24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर मलवा निस्तारण करेगा। सम्बन्धित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 25. | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | शर्त सं0 25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने के लिये प्रयोक्ता अभ्झिकरण वचनवद्ध है। |
| 26. | प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो। | शर्त सं0 26 में दिये गये नियमों/ निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगी, इसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |
| 27. | उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी। | शर्त सं0 27 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण किसी भी शर्त का कोई भी उल्लंघन नहीं करेगी, इसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। |

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

(इं0 रीना नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

Challan

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 19-09-2025

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5069 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORK DEPARTMENT |
| PF/Application No. | 81155204822 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/62/2022/FC |
| Address. | Construction Division PWD Pauri,Pauri Garhwal Pauri Garhwal |
| Remitter Contact No. Email-id. Mobile No. Landline No. | eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284 |
| Amount(In Rs) | 1802650/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

Amount In Words:Eighteen Lakh Two Thousand Six Hundred and Fifty Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 19-09-2025

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5069 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORK DEPARTMENT |
| PF/Application No. | 81155204822 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/62/2022/FC |
| Address. | Construction Division PWD Pauri,Pauri GarhwalPauri Garhwal |
| Remitter Contact No. Email-id. Mobile No. Landline No. | eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284 |
| Amount(In Rs) | 1802650/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

Amount In Words :Eighteen Lakh Two Thousand Six Hundred and Fifty Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 19-09-2025

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5069 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORK DEPARTMENT |
| PF/Application No. | 81155204822 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/62/2022/FC |
| Address. | Construction Division PWD Pauri,Pauri GarhwalPauri Garhwal |
| Remitter Contact No. Email-id. Mobile No. Landline No. | eepwdcdpauri@gmail.com 9634412527 1368-222284 |
| Amount(In Rs) | 1802650/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

Amount In Words : Eighteen Lakh Two Thousand Six Hundred and Fifty Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction data and reference Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

23-09-2025

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- eepwdedpauri@gmail.com, eepwdedpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)


Annexure- 3

परियोजना का नामः– रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन के व्यय के भुगतान हेतु

## "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मज़दूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत से वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाना है इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि इस विभाग के पक्ष में यथा समय जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)


**Annexure- 3 (ख)**

## "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.36 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)


Annexure- 4

## "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य के समय न्यूनतम 30 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com. eepwdcdpauri@rediffmail.com. Fax & Phone No. (01368-222284)


**Annexure- 6**

## "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत शीलाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.36 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

ANNEXURE 9

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 1.000 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम तलगल
तहसील सतपूली, जिला पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल हेतु लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.360 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 0.360 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तलगल द्वारा दिनांक 6/9/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रीठाखाल, दुधारखाल एवं तलगल मोटर मार्ग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D

ह0 / –
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 6/9/17...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तलगल

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | त्रिलोक चन्द | त्रिलोक सिंह |
| 2 | मनमोहन चन्द | मान सिंह |
| 3 | श्रीमती विनीता देवी | सरोजनी देवी |
| 4 | " सरोजनी देवी | [illegible] |
| 5 | राजेन्द्र सिंह | [illegible] |
| | हरीश सिंह | |
| | दिनेश चन्द | दिनेश सिंह |
| | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | कशीराम |
| | आशीराम | शान्ती देवी |
| | [illegible] देवी | [illegible] देवी |
| | रेखा देवी | महिपाल सिंह |
| | महिपाल सिंह | [illegible] |
| | [illegible] सिंह | चन्द्रा देवी |
| | [illegible] देवी | [illegible] देवी |
| | चन्द्रमोनी देवी | मान सिंह |
| | [illegible] सिंह देवी | चन्द सिंह |
| | चन्द्रपाल सिंह | [illegible] सिंह |
| | श्याम सिंह | [illegible] |
| | धनवीर सिंह | |
| | | |
| | | |

ह0/–
ग्राम प्रधान

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

ग्राम पंचायत [illegible]
ह0 [illegible]
दि0 ———

A.N 9.3

प्रारुप–30.2

प परियोजना का नाम :– रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंग मोटर मार्ग का नय निर्माण। (लम्बाई 1.000 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखड़ा

उपखण्ड पोखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत सतपुली ( 0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.360 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.360 हे0 वन भूमि ) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 2/8/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सोहन सिंह उपजिलाधिकारी ————————अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible]————सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रीठाखाल–दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल तक लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.360 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

ANq.4

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] परियोजना के निर्माण हेतु 0.360 हे0 वन भूमि ............ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–सतपुली
जनपद पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
[illegible]-सतपुली
[illegible]

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
C.D. P.W.D. Pauri

A.N.9.5

प्रारुप—30

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No---

Dated-19/6/2018

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.360 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Pauri for Construction of New Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal District falls within jurisdiction of Reethakhal, Dudharkhal,Talgal M/R village (s) in Satpuli tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.360 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Sushil Kumar)

District Collector Garhwal

जिलाधिकारी

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer

C.D. P.W.D Pauri

AN 9.6

**FORM-II**
**(For linear projects)**
**Government of Uttarakhand**
**Office of the District Collector Garhwal**

No---

Dated--19/6/2018

**To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.360 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, P.W.D. Pauri for New Construction of Dudharkhal-Talgal Link Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Reethakhal, Dudharkhal & Talgal village (s) in Satpuli tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.360 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure annexure 01 to annexure 02

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Talgal villages is enclosed as annexure 01 to annexure 02

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

(Sushil Kumar I.A.S.)
District Collector, Garhwal

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

AN 9.7

प्रारुप—30.1

Annexure...

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
## DISTRICT Garhwal (U.K.)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar, I.A.S deputy commissioner, Pauri on dated..19.6.2018 at time .11:30 am.at Pauri in which the application claiming rights in area measuring **0.360 Hectare** for the construction of **Reethakhal-Dudharkhal Motor Road upto Village Talga Link Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ekeshwer** sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri,

Dated: ...........

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer
C.D. P.W.D ...

AN 9.8

**It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Reethakhal-Dudharkhal Motor Road upto Village Talgal Link Motor Road (1.500 Km.) regarding FRA is as following:**

| Sl .No. | | Remarks |
|---|---|---|
| (a) | The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **0.360 hectares** area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Sub Division level Committee(s) are enclosed as annexure. | Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |
| (b) | The Diversions of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |

भगवान सिंह नेगी
जिला पंचायत सदस्य
Member District Board
, Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

अधिशासी अभियन्ता
Executive Engineer
Construction Division
PWD, Pauri

Deputy Commissioner
Garhwal, Pauri

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure- (ख) 12

## "प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर वनभूमि में 4 फिट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन किया जायेगा जिस पर **Forward** एवं **Back Bearing** अंकित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी